न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 346/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बाबुराम पुत्र मांगाराम जाट निवासी उदयसर, आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर		1. बालुदेवी पुत्री मांगाराम पत्नी तिलाराम, जाति जाट, निवासी उदयसर, आगोलाई हाल–निवासी जाखडो की ढाणी, ग्वालानाडा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर। 2. तीजोदेवी पत्नी मांगाराम जाट निवासी उदयसर, आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 3. सरपंच ग्राम पंचायत आगोलाई, तहसील बालेसर, जोधपुर 4. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) दिनांक 27.07.23 राजस्व प्रथम अपील/मुकदमा नं0 59/2022 अनवान बालूदेवी बनाम बाबूराम वगैरा

उपस्थित–
1. श्री जगदीश प्रजापत वकील अपीलांट
2. श्री मनोज प्रजापत वकील रेस्पो0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 04.11.24

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा नामान्तरकरण अपील सं0 59/2022 बालूदेवी बनाम बाबूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.7.23 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील शेरगढ स्थित ग्राम आगोलाई के खसरा नं0 559 एवं 567 तथा 448, 462, 450, 456, 282 व 461 की भूमि मांगाराम

पुत्र मुकनाराम जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जिसका फौतेदगी ना0क0सं0 538 बाबूराम पुत्र मांगाराम जाट सा0 देह खातेदार के नाम सरपंच ग्रा0पं0 आगोलाई द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–अपीलांट–बालूदेवी पुत्री मांगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील सं0 59/2022 में पारित निर्णय दिनांक 27.7.23 द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0 को अपास्त कर, प्रकरण तहसीलदार बालेसर को स्व0 मांगाराम के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण भरने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 1–बाबूराम ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–बालुदेवी ने ग्रा0पं0 आगोलाई द्वारा स्वीकृत ना0क0सं0 538 के विरूद्ध 40 वर्षों के बाद मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई। मियाद प्रार्थना पत्र में केवल मात्र यह लिख देना कि नकल लेने पर इसकी जानकारी हुई, यह मानने योग्य नही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अन्दर मियाद मानकर स्वीकार कर लिया गया। रेस्पो0सं0 1 को उक्त ना0क0 की शुरू से जानकारी थी। विलंब के मामले में हरेक दिन के विलंब का कारण बताना आवश्यक है। रेस्पो0सं0 1 का यदि इस भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार बनता तो उसे सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर साक्ष्य सबूत के आधार पर अपना पक्ष निर्धारित करवाना चाहिए था। म्यूटेशन एक फिसकिल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–अधिकार निहित नही किए जा सकते है। रेस्पो0सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि वह मांगाराम की वारिस पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन कानूनी बिन्दु पर गौर किए बिना 40 वर्ष पूर्व पारित ना0क0 निरस्त करने में भूलकी गई है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा ना0क0सं0 538 बहाल करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण मृत्तक खातेदार के एक मात्र पुत्र बाबुराम के नाम पारित कर दिया गया। जबकि रेस्पो0सं0 1–बालूदेवी पुत्री मांगाराम एवं रेस्पो0सं0 2–तीजोदेवी पत्नी मांगाराम के जीवित एवं प्रथम श्रेणी के

वारिस का नाम दर्ज नही किया गया तथा फौतेदगी ना0क0 पारित करने से पूर्व इनके बारे में कोई जानकारी नही ली गई। ग्रा0पं0 ने विधिविरूद्ध प्रस्ताव लेकर बिना तारीख दर्ज किए उक्त ना0क0 अपीलांट के नाम स्वीकृत कर दिया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध मानते हुए, अपास्त कर तहसीलदार बालेसर को स्व0 मांगाराम के विधिक वारिसों की जांच कर, पुनः पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0सं0 1 की अपील को मियाद शुमार किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर, अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व अपील/मुकदमा नं0 59/202 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2023 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

04.11.25

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर